

तारीख
हुक्म

27/1/21
पक्षकारान
पैदाशीन जो
स्थानान्तरण
हे प्रयास
को प्रस्त हो

27/4/21

14/7/21
पक्षकारान
पैदाशीन जो
स्थानान्तरण
हे प्रयास
को प्रस्त हो

29/10/21

29/10/21

समप्रकारान के विधान अधिवक्ता
उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को
लोक अदालत में रैफर करने हेतु
दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण
लोक अदालत में रैफर किया जाता है
पक्षकारान दिनांक को लोक
अदालत में उपस्थित हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
खींचसर

21-10-21

सब प्रकरण आज सत्र लोक अदालत प्रशासन
गाँवों के सत्र अभियान-2021, कैंप कोर्ट ग्राम
पंचायत में पेश हुआ। उपस्थित
पक्षकारान को प्रकरण में राजीनामा करने हेतु समझाया
गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति
नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में
दिनांक को पेश हो।

पाद संम अधिकारी
प्र.सा.के.अ. 2021
उपलब्ध अधिकारी
खींचसर

25/1/22

विद्युत अधिवक्ता प्रशासन ने 25-1-2022
के हुक्म-कार को धीमे विद्युत प्रशासन
को प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव को 25
R.T.M.A को भी लगी है। इस प्रस्ताव को
ही के तहत विद्युत अधिवक्ता प्रशासन को
मिनेट्रियर इस प्रकार को भी लगी है
विद्युत प्रशासन को प्रस्तावित किया गया है।
विद्युत प्रशासन को प्रस्तावित किया गया है।

भाषांतरित
शहर प्रिंट
25/1/22

25/1/22
सहस्रक जलक
(SDO), खींचसर

सेवा में

वीर
25/02/22



~~विद्यार्थी~~
विद्यार्थी

समाजक कम्प्यूटर (500) मं.

स्वीकार

प्राचीन
वनाम
उपप्राचीन
महाबानारास
गुमानारास को.

रा. प्राचीन का स. 84/18 ता. पेसी 203 2022

रा. प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 22 अ. 1-4-4

आवेदन का स्वरूप पत्रावली आज तारीख पेसी पर ली जाकर राजस्व प्राचीन का जारी के विद्वोल खारिज बिये जाने।

श्रीमान जी,

प्राचीन की ओर से निवेदन है कि -

- (1) यह है कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली 1 माघ 1981 ए.स. में विचाराधीन है जिसकी तारीख पेसी 203.22 निघर है।
- (2) यह है कि पत्रावली के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है जिससे प्राचीन अपना प्राचीन पत्र आगे चलाना नहीं चाहता है तथा रा. प्राचीन का जारी के विद्वोल खारिज कखाना चाहता है।

अतः प्राचीन पत्र पेश कर निवेदन है कि

उपरोक्त अनवान की पत्रावली आज तारीख पेसी पर ली जाकर प्राचीन का रा. प्राचीन पत्र जारी के विद्वोल खारिज बिये जाने के आदेश करमावे।

इति दिनांक 25.2.2022

महाबानारास

Handwritten signature